अत्यंत महत्वपूर्ण
विशेष पत्र वाहक द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(03)/ता.अता. प्र.18/ चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023/दिविस/श.वि./4889-90 दिनांकः 14/12/2023

सेवा में,

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 ~~अतारांकित~~ / तारांकित प्र0 सं. 18 मान्नीय विधायक श्री संजीव झा दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित) दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री संजीव झा

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 18

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि नगर निगम के द्वारा बुराड़ी विधान सभा की मुख्य 100 फुट सड़क पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग को हटाने के लिए कोई ड्राइव चलाई गई है;	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** दिल्ली नगर निगम के सिविल लाईन क्षेत्र द्वारा बुराड़ी 100 फुटा रोड़ पर अतिक्रमण हटाए जाने का प्रोग्राम समय–समय पर किया जाता है। अवैध पार्किंग को हटाने के लिए कोई ड्राइव नही चलाई गई है।
ख	यदि हाँ, तो उसका विवरण दीजिए;	
ग	क्या यह सत्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध पार्किंग को न हटाने के लिए नगर निगम को कोई आदेश जारी किया है;	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** इस सम्बध में कोई सूचना दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में नही है।
घ	मुख्य 100 फुट सड़क पर मौजूद मॉल की अवैध पार्किंग, अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने कब–कब नोटिस जारी किये उसका विवरण दीजिए; और	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** दिल्ली नगर निगम के सिविल लाईन क्षेत्र द्वारा समय–समय पर बुराड़ी 100 फुटा रोड पर अतिकमण हटाए जाने का प्रोग्राम किया जाता है। इस संबध में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है।
ङ	पिछले एक वर्ष के दौरान झड़ौदा और कमालपुर वार्ड में तहबाजारी के लाईसेंसिंग ऑफिसर द्वारा दुकानों और फैक्ट्रीयों की अवैध पार्किंग, अतिक्रमण के सम्बन्ध में भेजे गए नोटिस और उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें?	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** इस संबध में कोई भी नोटिस जारी नही किया गया है।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

25/c

<u>पूरक सूचना</u> :– दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही समय समय पर की जाती है तथा दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अवैध पार्किंग को हटाने के लिए कोई अभियान नही चलाया गया। अवैध पार्किंग हटाने का कार्य दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से संबंधित है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

भवदीय

09/12/23

प्रशासनिक अधिकारी

सदन एव समिति, दि0न0नि0